कार्यालय प्राचार्य, शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

Website- www.blvcollegepallari.in
Email- govt.blvcollegepallari@gmail.com
Phone No. 07727-201324
College Code-1205

:— महिला उत्पीड़न निवारण समिति —:

1. अध्यक्ष – श्रीमती तुलसी पैंकरा – 9617249899
2. सदस्यगण – डॉ. श्रीमती कंचन गिलहरे – 7000164337
3. सदस्य – कु. दीप्ती वर्मा – 9165400429
4. सदस्य – कु. प्रियंका वर्मा – 8889207660

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत–

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में संलग्न जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, भारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रों कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र / छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता / सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, अथव जीवन के लिए खतरा हो।

छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम, 2002

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1, 1995), अनुच्छेद 2(29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :–

किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव–मर्यादा के f हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा–धमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके चोट पहुँचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित द भय दिखा कर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरूप :–

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है :–

स्पष्ट आदेश
* सीनियर छात्रों को "सर" कहने के लिए
* सामूहिक कवायद करने के लिए
* सीनियरों के क्लास - नोट्स उतारने के लिए
* अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए
* सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए
* अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए
* नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघांत पहुँचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए .
* शराब, उबलती हुइ चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना
* कामुक संकेतार्थ वाले कार्य–समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना
* ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे भारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा, या मृत्यु तक हो सकती है।
* नंगा करना, चुंबन लेना, आदि
* अन्य अश्लीलताएँ करना।

उपर्युक्त ये यह विदित होता है कि प्रथम पाँच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त हैं।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दंड
1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा / छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा–परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रू. 25000 / – तक।

PRINCIPAL
Govt. BrijLal Verma College Pallari
Distt.Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)